

म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ-2/10/2012/ सात/4-ए, दिनांक 09 अगस्त 2017 के अनुसार जिला नीमच में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), नीमच के लिये कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा पद पर नियुक्ति की जाना है। कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद हेतु मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र सी 5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 व म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-10/2012/सात-4 भोपाल दिनांक 26.09.2023 में शासन द्वारा निर्धारित की गई समकक्षता का लेवल, वेतनमान व न्यूनतम वेतन(पे-लेवल-4 (19500-62000)) के अनुसार प्रारंभिक वेतन 19500 होगा। यह पद पूर्णतः अस्थाई होंगे तथा किसी भी स्थिति में आगे नियमित नहीं किये जावेंगे। इस हेतु केवल म.प्र. के मूल निवासी जो इन पदों हेतु निर्धारित अर्हतायें रखते हो आवेदन कर सकते हैं

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतनमान	पद की श्रेणीवार संख्या	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
1	अनुविभागीय MPPLR अधिकारी(राजस्व), नीमच	कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	19500/-	UR महिला 01	दिनांक 15.09.2025 को सायं 06.00 बजे तक एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार्य किये जायेंगे।

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा पदों की भर्ती हेतु शर्तें

लोकसेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), नीमच के अधीन रिक्त कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा पद के लिये योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण शैक्षणिक योग्यता अन्य अर्हताएँ, संविदा नियुक्ति की शर्तें, आवेदन पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

1) शैक्षणिक, व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यता

1.कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता।

2.डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी।

3.दस्तावेजों की स्केनिंग।

4.एम.एस. ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव।

5.शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

6.एक वर्ष का यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त वि.वि. द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा।

7.न्यूनतम तकनीकी योग्यता-विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक तक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा 20 श.प्र.मि. की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र(CPCT score card) म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक सी 3-15/ 2014/1-3 दिनांक 24.01.2017 अनुसार एवं म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक सी-3-15/2014/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई, 2018 सी.पी.सी.टी. परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा उक्त सी.पी.सी.टी. परीक्षा स्कोर कार्ड की वैधता अवधि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 14-7/2016/ 41-2 भोपाल दिनांक 23.03.2021 के अनुसार होगी।

2) आयु

दिनांक 01.09.2025 को 18 से 40 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग व महिला उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।)

3) चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया Mp online के माध्यम से की जावेगी। आवेदन दि. 01.09.2025 से Mp online के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15.09.2025, सायं 06.00 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4) कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा के पद के लिए चयन प्रक्रिया के चरण/आधार

मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18 अगस्त 2017 व परिपत्र दिनांक 22.07.2023 के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को उक्त क्रम के अनुसार उनके सीपीसीटी स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों, हिन्दी टाईपिंग में प्राप्त कुल अंक(सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड में अंकित अंक), कम्प्यूटर में उच्च शैक्षणिक योग्यता, समान पात्रता होने पर उच्च योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी, के अनुसार विभिन्न वर्गवार पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार कर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात मेरिट सूची अनुसार संविदा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

संविदा नियुक्ति शर्तें

5) संविदा अवधि

5.1 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगी।

5.2 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की सकेगी।

5.3 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जाएगा।

6) मानदेय/पारिश्रमिक

6.1 कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा सेवा के कर्मचारी को मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र सी 5-2/2018/1/3, भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 व म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 2-10/2012/ सात-4 भोपाल दिनांक 26.09.2023 में शासन द्वारा निर्धारित की गई समकक्षता का लेवल, वेतनमान व न्यूनतम वेतन(पे-लेवल-4 (19500-62000)) के अनुसार प्रारंभिक वेतन 19500 होगा।

6.2 संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

7) यात्रा भत्ता

यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को होती है।

8) अवकाश

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 22.07.2023 के अनुसार अवकाश संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

9) अन्य

9.1. नियुक्ति के पश्चात जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण-पत्र कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात् 07 दिन की अवधि में कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

9.2 संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी की सेवाएँ। निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

9.3 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है।

9.4 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति/निर्देश के कोई भी सूचना जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य किसी विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

9.5 कार्यालय में संविदा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने पर व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

9.6 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।

9.7 नियुक्ति पत्र में दर्शाई तिथि तक का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

9.8 संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन तक प्रभावशील होगी। इस अवधि में यदि नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा का नियुक्ति का आदेश स्वतः शून्य हो जायेगा।

9.9 चयनित अभ्यर्थी उसकी पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई व्यक्ति बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से 01 माह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

10.0 गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।

10.1 संविदा पर नियुक्ति व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे।

11.2 अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

10.2 मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

10.3 किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा।

10.4 आवेदक को चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित प्रवर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत करना होगा।

10.5 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का चरित्र सत्यापन, शासकीय सेवकों को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति, बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्द कर दी जावेगी।

10.6 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रिया कलाप में संलग्न होने पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर सकेंगे।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)